

घोषणा पत्र

(नये निर्वाचक के रूप में नामांकन हेतु फॉर्म 6/अन्य राज्यों से स्थानांतरण हेतु फॉर्म 8 के साथ जमा किया जायेगा।)

आवेदक का नाम:

मोबाइल नंबर:

पता:

पिता / अभिभावक का नाम	
पिता /अभिभावक का ईपीआईसी नंबर (यदि उपलब्ध हो)	
माता का नाम	
माता का ईपीआईसी नंबर (यदि उपलब्ध हो)	
पति / पत्नी का नाम (यदि लागू हो)	
पति / पत्नी का ईपीआईसी नंबर (यदि उपलब्ध हो)	

पूर्व एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण (यदि लागू हो) :	पूर्व कॉलम में दिये गये संबंधी का विवरण, पिछले एसआईआर के अनुसार:				
मतदाता का नाम :	नाम :				
ईपीआईसी नंबर (यदि उपलब्ध हो) :	ईपीआईसी नंबर (यदि उपलब्ध हो) :				
सम्बन्धी का नाम :	सम्बन्धी का नाम :				
संबंध :	संबंध :				
जिला :	जिला :				
राज्य :	राज्य :				
विधानसभा क्षेत्र का नाम:	विधानसभा क्षेत्र का नाम:				
वि0सभा क्षेत्र सं0	भाग संख्या	क्रम संख्या	वि0सभा क्षेत्र सं0	भाग संख्या	क्रम संख्या

(i) मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है।

(ii) मैं फॉर्म 6 के माध्यम से निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन कर रहा/रही हूँ और मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा / संसदीय क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है।

अथवा

मैं फॉर्म 8 के माध्यम से स्थानांतरण हेतु निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ।

(iii) मुझे ज्ञात है इस आवेदन के सम्बन्ध में उपरोक्त कथन या घोषणा करना जो मिथ्या है और जिसके बारे में जानता हूँ या विश्वास करता हूँ कि वह मिथ्या है या जिसके सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

मतदाता के हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान (तारीख सहित)

बी.एल.ओ. का प्रमाणन (BLO's Undertaking): मैंने उपर्युक्त विवरण को पिछले एसआईआर की निर्वाचक नामावली से सत्यापित कर लिया है।

बी.एल.ओ. के हस्ताक्षर:

बी.एल.ओ. का नाम और फोन नंबर:

भारत निर्वाचन आयोग घोषणा पत्र हेतु सूचना-पत्र

आवेदक <https://voters.eci.gov.in/> पर विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली में अपना और संबंधित रिश्तेदारों का नाम देख सकते हैं और घोषणा पत्र में विवरण उपलब्ध करा सकते हैं। सहायता के लिए, आवेदक संबंधित बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उन आवेदकों को नोटिस जारी करेगा जिनका घोषणा पत्र में दिया गया विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली का विवरण या तो उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाता है। नोटिस प्राप्त होने पर, आवेदक को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे:

- यदि 01.07.1987 से पहले भारत में जन्म हुआ हो
 - नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएँ, जिससे जन्म तिथि और/या जन्म स्थान का पता चलता हो।
- यदि 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच भारत में जन्म हुआ है
 - नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएँ, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।
 - नीचे दी गई सूची में से पिता या माता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएँ, जो जन्म तिथि और/या जन्म-स्थान को प्रमाणित करता हो।
- यदि 02.12.2004 के बाद भारत में जन्म हुआ है
 - नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएँ, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।
 - नीचे दी गई सूची में से पिता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएँ, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।
 - नीचे दी गई सूची में से माता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएँ, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।
 - यदि अभिभावक में से कोई भारतीय नहीं है, तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति उपलब्ध कराएँ।
- यदि भारत के बाहर जन्म हुआ है (विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करें),
- यदि पंजीकरण/नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है (नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करें)

अभिलेखों की सांकेतिक (संपूर्ण नहीं) सूची (यदि ऊपर उल्लेखित है, तो स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्व-सत्यापित अभिलेख जमा किये जाने हैं):

1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
2. 01.07.1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/अभिलेख।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो)
10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड II दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक II) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
13. बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार।